राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004

क्रमांकः शैक्षणिक द्वितीय/के.प्र.स./2023/ दिनांक 12/04/2023

—::कार्यालय आदेश::—

विश्वविद्यालय केन्द्रीय प्रवेश समिति की दिनांक 10/04/2023 को आयोजित बैठक में निम्न निर्णय लिये गये :—

1. राजस्थान विश्वविद्यालय के पंचवर्षीय विधि महाविद्यालय में संचालित बी.ए.—एल.एल.बी (ऑनर्स) द्वितीय/चतुर्थ/षष्ठम/अष्ठम/दशम सेमेस्टर में पुनः प्रवेश हेतु दिनांक 13/04/2023 से 16/04/2023 तक रू. 1,000/— विलम्ब शुल्क सहित ऑनलाइन फीस जमा करवाने की अनुमति प्रदान की जाती है व इसके पश्चात कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।
2. राजस्थान विश्वविद्यालय के योजना एवं परियोजना अनुभाग के द्वारा जारी पत्र क्रमांक F. 35-375-A/PP/2022/9523-9584 दिनांक 11/10/2022 के संदर्भ में राजस्थान विश्वविद्यालय के विभागों/केन्द्रों में संचालित स्नातकोत्तर (स्ववित्तपोषी) द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर पाठ्यक्रमों के लिए विभागों/केन्द्रों के द्वारा विद्यार्थियों से शुल्क जमा नहीं करवाया गया है उन विद्यार्थियों की सूची दिनांक 12/04/2023 को सायं 4.30 बजे तक इन्फोनेट सेन्टर को भिजवाना सुनिश्चित करें व दिनांक 13/04/2023 से 16/04/2023 तक निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करवाने की अनुमति प्रदान की जाती है।
3. विधि विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय में संचालित एल.एल.एम. (एच.आर. एण्ड वी.ई) पाठ्यक्रम के द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर के लिए ऑफलाइन चालान के माध्यम से दिनांक 16/04/2023 तक शुल्क जमा करवाने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

sd/-

(डॉ. कुलदीप मिश्रा)
उप—कुलसचिव (शैक्षणिक—2)

क्रमांकः शैक्षणिक द्वितीय/के.प्र.स./2023/ 1768-74 दिनांक 12/04/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रो. एस.एल.शर्मा, संयोजक, केन्द्रीय प्रवेश समिति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार ऑनलाइन पोर्टल खोलने की व्यवस्था करावें।
3. निदेशक, पंचवर्षीय विधि महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. उप—कुलसचिव, लेखा एवं वित्त विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. प्रबन्धक, आई.सी.आई.सी.आई बैंक बापू नगर शाखा, जयपुर।
6. निजी सचिव—कुलपति/कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

12.4.2023

(डॉ. कुलदीप मिश्रा)
उप—कुलसचिव (शैक्षणिक—2)